आदेश

(इस कार्यालय आदेश पृ0 कमांक 11415.22/एम0बी0 दिनांक 18–5–2020 की निरन्तरता में)

जैसा कि आप सभी को विदित है कि सरकार द्वारा कोविड–19 को महामारी घोषित किया हुआ है और प्रत्येक नागरिक को इससे बचाव हेतू पूरे भारतवर्ष मे लाकडाउन जारी है। साथ ही इस महामारी को रोकने के लिए समय–समय पर एडवाईजरी भी जारी की जा रही है। जिला प्रशासन द्वारा भी लाकडाउन के नियमो को सख्ती से पालने करने हेतू जिले मे आपदा प्रवन्धन एक्ट–2005 के नियमों के अनुरुप कार्यवाई करने व धारा 144 के आदेश जारी किये गये है।

इसी कम मे इस कार्यालय के आदेश पृ0 कमांक 10579/एम0बी0 दिनांक 27–4–2020 द्वारा आपदा प्रबन्धन एक्ट–2005 के नियम 2, 30 व 34 तथा भारतीय दण्ड प्रकिया नियमावली 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत निम्नलिखित आदेश जारी किये गये थे। यह आदेश जिला पलवल की वैबसाईट Palwal.gov.in पर उपलब्ध है।

"Any person who moves from District Palwal to neighbouring states Delhi, Uttar Pardesh, Rajashthan and any other States and Districts of Haryana with COVID-19 positive patients or vice-versa shall report to concerned Sub Divisional Magistrate of District immediately.

He/she would undergo for a Medical Examination in Civil Hospital Palwal to get medical clearance in respect of COVID-19 immediately on his/her arrival at district Palwal.

The Sarpanches, Panchs, Municipal Councillors and other public representatives were directed to report about such persons to nearest Police Station or Control Rooms."

जबकि यह देखने मे आया है कि ना तो उस व्यक्ति द्वारा अपनी किसी यात्रा की सूचना दी जा रही है और ना ही पार्षदो व सरपंचों द्वारा कोई सूचना दी जा रही है जिससे इस महामारी के और ज्यादा फैलने का खतरा बना हुआ है।

इसके अतिरिक्त frequent travellers के सम्बन्ध मे SOPs जारी किया जाता है जो निम्न प्रकार है:–

Do's:

- Always wear face masks and dispose them off safely, periodically / or use hand sanitizers.
- Maintain personal distance of at least 1 metre from each other and is distance is mandatory when you return home from office, shopping, etc.
- As a good practice, keep a jacket or a sweat-shirt for going out, which you can remove once you reach office or home.
- Follow general guidelines on regularly washing hands, avoiding crowds, and practicing social distancing. One meter mandatory physical
- Maintain personal hygiene by washing hands for 20 seconds with soap or hand sanitizers containing 60% alcohol.
- Limit contact with others, including through shaking hands, meeting in person, group lunches, etc. Encourage online meetings.
- Eat healthy to boost your immune system.
- Keep drinking water or other fluids regularly.
- Discard your clothes and wash your hands and feet thoroughly.
- Limit alcohol and sugary drinks.
- If you have cough, fever or difficulty in breathing, contact and visit nearest Govt. Health facility every Saturday and Sunday for health check-up.
- Staying home when sick.
- All are advised to download Arogya Setu app on their mobile devices.
- Follow the instructions of police personnel on the route

Don'ts:

- Should not allow anyone to sit close to them.
- Don't stop the vehicle at any other place or in market other than at the specified destination.
- Don't use crowded transport modes as far as possible.
- Use of cab-aggregation may be limited unless absolutely unavoidable.
- Most importantly do not touch hands anywhere on face.
- Don't smoke. It can exacerbate COVID-19 symptoms and increase your risk of getting sick.

Scanned with CamScanner

- Don't plan travels if sick.

इस जिला के frequent travellers की सूची सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट व सुपरवाईजरी अधिकारियों को भेजी जा चुकी है ताकि उनके बारे मे पूरी जानकारी रखी जा सके तथा उनको प्रत्येक शनिवार व रविवार को नजदीकी स्वास्थय केन्द्र मे स्वास्थय जांच के लिए जाना सुनिश्चित करें।

इसके अतिरिक्त उक्त सूची जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, पलवल को भेजी गई तथा वह भी उक्त सभी व्यक्तियों का मार्गदर्शन करना सुनिश्चित करें।

उक्त आदेशों की अनुपालना मे लापरवाही के लिए दोषी पाए जाने पर आपदा प्रबन्धन एक्ट–2005 की धारा 51 से 60 तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही का प्रावधान है।

यह भी ज्ञात हुआ है कि गांवो मे ट्रक ड्राईवर, कर्मचारी व अन्य व्यक्ति दिल्ली या साथ लगते हुए राज्य से प्रतिदिन आवगमन रखते हैं जिससे इस महामारी का फैलने का खतरा है। इस प्रकार के व्यक्तियों पर भी निगरानी रखी जानी आवश्यक है। इसके लिए सभी सरपंचों को निर्देश दिये जाते हैं कि वह प्रत्येक गाव के बाहर किसी सरकारी स्कूल या सामुदायिक केन्द्र के भवन मे क्वारानटाईन केन्द्र स्थापित करें ताकि इस प्रकार के व्यक्तियों को वहा पर ठहराया जा सके। इससे उसका परिवार व ग्रामवासी सम्पर्क मे आने से बच सकें और कोरोना जैसी महामारी को फैलने से रोका जा सके।

इसी प्रकार सभी पार्षद अपने पालिका वार्ड मे इस प्रकार की गतिविधियों पर नजर रखें और तुरंत नजदीकी पुलिस थाना या कंट्रोल रुम मे सूचित करें।

सभी पंचो को हिदायत दी जाती है कि वे अपने वार्ड में किसी बिमार व्यक्ति की सूचना तुरन्त जिला प्रशासन को दे तथा सप्ताह मे दो बार इस बारे निर्धारित प्रर्फोमा अनुसार सूचित करे। नगर पार्षद अपनी टीम लगाकर वार्ड वाईज किसी बिमार व्यक्ति की सूचना तुरन्त जिला प्रशासन को देंगे तथा सप्ताह मे दो बार इस बारे निर्धारित प्रर्फोमा अनुसार सूचित करेंगे। इस बारे सूचना ना देने पर उनके खिलाफ इस ओदश के तहत कार्यवाही की जायेगी।

इसके अतिरिक्त, कार्यकारी अधिकारी/सचिव, नगर परिषद/पालिका, पलवल, होडल व हथीन को निर्देश दिये जाते है कि वह शहरी क्षेत्र मे प्रत्येक नागरिक को इन आदेशों से अवगत कराने तथा जागरुक करने के लिए प्रतिदिन मुनादी कराना सुनिश्चित करें।

ग्रामीण क्षेत्र मे सभी सरपंच भी प्रतिदिन मुनादी कराना सुनिश्चित करें और स्वंय भी पूरी निगरानी रखें।

उपरोक्त आदेशों के कियान्वन हेतू शहरी क्षेत्र मे पार्षदों की व ग्रामीण क्षेत्र मे सरपंचों की पूर्ण जिम्मेदारी होगी और यदि उनके कार्य मे कोई चूक या लापरवाही पाई गई तो आपदा प्रबन्धन एक्ट–2005 की धारा 51 से 60 तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के तहत कार्यवाही अमल मे लाई जाएगी।

अतः सभी खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी और कार्यकारी अधिकारी/सचिव, नगर परिषद/पालिका अपने स्तर पर पार्षदों और सरपंचों को आदेशों से अवगत कराएं।

जिलाधीश, पलवल।
11/6

पृ0 कमांक 12541–560/एम0वी0 दिनांक 11/06/2020

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित हैः–

1- आयुक्त, फरीदाबाद मण्डल, फरीदाबाद।
2– पुलिस अधीक्षक, पलवल।
3– उपमंडल अधिकारी (ना0), पलवल, होडल, हथीन।
4– सिविल सर्जन, पलवल।
5– खण्ड विकास एंव पंचायत अधिकारी, पलवल, होडल, हथीन, हसनपुर, बडौली व पृथला।
6– सभी सुपरवाईजरी अधिकारी, कोविड–19, जिला पलवल।
7– सभी ड्यूटी मजिस्ट्रेट–कोविड –19, जिला पलवल।
8– जिला आयुर्वेदिक अधिकारी, पलवल।
9– कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, पलवल व होडल।
10– सचिव, नगर पालिका, हथीन।
11– सभी पार्षद.................................. (कार्यकारी अधिकारी/सचिव के माध्यम से)
12– सभी सरपंच .... (वी0डी0पी0ओ0 के माध्यम से)

जिलाधीश, पलवल। 11/6

Scanned with CamScanner